1 एस.सी.आर. 429 : 2024 आईएनएससी 42

षडाक्षरी

बनाम

कर्नाटक राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 256/2024)

17 जनवरी 2024

[न्यायमूर्ति अभय एस. ओका एवं न्यायमूर्ति उज्जल भूषण*]

विचारणीय मुद्दा

क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 2 के अभियोजन हेतु स्वीकृति आवश्यक है, जिस पर अन्य आरोपों के साथके (अर्थात् लोक सेवक) साथ एक ग्राम लेखाकार-रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर जाली दस्तावेज़ बनाने का आरोप है। सक्षम प्राधिकारी ने अभियोजन की स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय न यह माना है कि ऐसी स्वीकृति के अभाव में प्रतिवादी संख्या 2 का अभियोजन नहीं किया जा सकता, और परिणामस्वरूप शिकायत तथा आरोपपत्र दोनों को निरस्त कर दिया है, साथ ही अपीलकर्ता को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि वह उचित समझे तो प्रतिवादी संख्या 2 के अभियोजन हेतु स्वीकृति से इनकार किए जाने को उपयुक्त कार्यवाही में चुनौती दे सकता है।

शीर्ष टिप्पणियां

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 197 - स्वीकृति के संबंध में - अपीलकर्ताशिकायतकर्ता ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई-, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 तथा एक अन्य व्यक्ति मृत व्यक्ति के नाम पर संपत्ति से संबंधित दस्तावेज़ों का

अनियमित रूप से निर्माण कर रहे थे, जबकि उन्हें यह ज्ञात था कि वे दस्तावेज़ जाली हैं। उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन

*लेखक

किया कि प्रतिवादी संख्या 2 एक लोक सेवक था। अभियोजन के अनुसार उसके विरुद्ध आरोपित अपराध उसने लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किया था। अन्वेषण अधिकारी द्वारा मांगी गई स्वीकृति अस्वीकृत कर दी गई। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि चूँकि स्वीकृति से इनकार कर दिया गया है, इसलिए लोक सेवक के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन जारी नहीं रह सकता।
- औचित्य:

निर्णीत: यह स्थापित है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 प्रत्येक ऐसे कृत्य या चूक पर संरक्षण प्रदान नहीं करती जो कोई लोक सेवक सेवा में रहते हुए करता है। यह संरक्षण केवल उन्हीं कृत्यों या चूकों तक सीमित है, जो लोक सेवकों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए जाते हैं।

यह प्रश्न कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 ने लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए आधिकारिक दस्तावेज़ों की जालसाजी की, विचारण (ट्रायल) का विषय है। निस्संदेह, यह दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है कि ऐसे दस्तावेज़ों का निर्माण या अभिलेखों की जालसाजी किसी लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं हो सकता। यदि स्थिति ऐसी है, तो उच्च न्यायालय द्वारा शिकायत तथा आरोपपत्र को पूर्णतः निरस्त करना उचित नहीं था, विशेषकर तब जब प्रतिवादी संख्या 2 के अतिरिक्त दो अन्य अभियुक्त भी हैं।

मामले का एक अन्य पहलू भी है। प्रतिवादी संख्या 2 ने पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शिकायत को चुनौती दी थी, जो असफल रही। यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा उसे यह स्वतंत्रता दी गई थी कि शिकायत दर्ज होने के पश्चात यदि कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दायर की जाए तो वह उसे चुनौती दे सकता है, किन्तु आरोपपत्र तक अपनी चुनौती सीमित रखने के बजाय प्रतिवादी संख्या 2 ने शिकायत को भी चुनौती दी, जो वह नहीं कर सकता था।

अतः उच्च न्यायालय द्वारा शिकायत तथा आरोपपत्र दोनों को पूर्णतः निरस्त करना त्रुटिपूर्ण था। [पैरा 23, 25]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 197 - क्षेत्र, दायरा और प्रभाव:

निर्णीत: अभियोजन के लिए ऐसी स्वीकृति का उद्देश्य यह है कि जो लोक सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन कर रहा है, उसे तुच्छ आपराधिक कार्यवाहियों की शुरुआत द्वारा अनावश्यक उत्पीड़न से संरक्षण दिया जा सके। [पैरा 19]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

राज्य बनाम गणेश चंद्र ज्यू, **3 एससीआर 504:(2004) 8 एससीसी 40**; *डी. देवराजा बनाम ओबैस सैंडर्स हुसैन*, **6 एससीआर 453:(2020) 7 एससीसी 695** - पर भरोसा किया गया।

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक के माध्यम से प्रतिनिधित्व, **10 एससीआर 11: 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 900** - भेद किया गया।

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, **14 एससीआर 713:(2014) 2 एससीसी** 1; *शंभू नाथ मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, **2 एससीआर 1139:(1997) 5 एससीसी 326** - का उल्लेख किया गया।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 197।

कीवर्ड्स की सूची

सार्वजनिक सेवक; रिकॉर्ड का जालसाजी; आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन; स्वीकृति; सार्वजनिक सेवक द्वारा कार्य या चूक को संरक्षण।

केस का उद्भव

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 256/2024।

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा दिनांक 25.11.2020 के निर्णय एवं आदेश से, सी.आर.पी. संख्या 4998/2020 में।

अधिवक्तागण

अपीलीय पक्ष के लिए: सी. बी. गुरुराज, प्रकाश रंजन नायक, अनिमेष दुबे, टी. जी. रवि, अधिवक्ता।

प्रतिवादी पक्ष के लिए: डी. एल. चिदानंद, राहुल कौशिक, अनिल सी. निशानी, वी. मुरनाल, कृष्णा एम. सिंह, राजीवकुमार, अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति उज्जल भूषण

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. इस अपील में चुनौती कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा दिनांक 25.11.2020 के आदेश को दी गई है, जो आपराधिक याचिका संख्या 4998/2020 (श्री. मल्लिकार्जुन बनाम कर्नाटक राज्य) में पारित किया गया था, जिसमें अपीलीय पक्षकार द्वारा दिनांक 19.12.2016 को दर्ज शिकायत को रद्द कर दिया गया; सी.सी. संख्या 116/2018 में आरोपपत्र सहित, जिसमें विद्वान प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेलुर द्वारा दिनांक 28.03.2018 का आदेश पारित किया गया था।

3. तथ्य बहुत संकीर्ण परिधि में आते हैं। अपीलीय पक्षकार ने शिकायतकर्ता के रूप में दिनांक 19.12.2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (विवादित आदेश में 'शिकायत' के रूप में उल्लिखित) दर्ज

कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 एवं अन्य मृत व्यक्ति के नाम से संपत्ति के दस्तावेज़ अनियमित रूप से बना रहे थे, जबकि उन्हें यह ज्ञात था कि वे जाली दस्तावेज़ हैं, जैसे मृत्यु प्रमाण-पत्र, अपीलीय पक्षकार की भूमि के मूल उत्तराधिकारी का परिवार वृक्ष आदि, अवैध लाभ के लिए। उक्त प्रथम सूचना हलीबीडू पुलिस स्टेशन, बेलुर द्वारा प्राप्त एवं दर्ज की गई अपराध संख्या 323/2016 के रूप में, भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 409, 419, 420, 423, 465, 466, 467, 468, 471 एवं 473 के साथ-साथ उसकी धारा 149 एवं 34 के अंतर्गत।

4. यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 2 कर्नाटक राज्य के हासन जिले में किरिगडालु सर्कल में ग्राम लेखाकार के रूप में कार्यरत है।

5. प्रतिवादी संख्या 2 ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी.आर.पी.सी.) की धारा 482 के अंतर्गत उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु ('उच्च न्यायालय' संक्षेप में) के समक्ष याचिका दायर की। इसे आपराधिक याचिका संख्या 9580/2017 के रूप में दर्ज किया गया।

> 5.1 उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 05.01.2018 के आदेश में उल्लेख किया कि अपीलीय पक्षकार का विशिष्ट मामला यह था कि हासन जिले, बेलुर तालुक, हलीबीडू hobli, चत्तनाहल्ली ग्राम में सर्वेक्षण संख्या 7/6 में 1 एकड़ 13 गुंटा भूमि अपीलीय पक्षकार एवं उसके परिवार के सदस्यों की थी। यह आरोपी संख्या 1 को खेती के उद्देश्य से दी गई थी। आरोपी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों सहित आरोपी संख्या 2 (यहाँ प्रतिवादी संख्या 2) के साथ मिलीभगत करके प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अनेक जाली दस्तावेज़ बनाए। उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.01.2018 के आदेश द्वारा यह अवलोकन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध विशिष्ट एवं गंभीर आरोप हैं, यहाँ तक कि जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने के भी। यह अवलोकित किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के पठन से जांच का मामला बनता है तथा इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में हस्तक्षेप करना समयपूर्व होगा। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, (2014) 2 एससीसी 1 के मामले का संदर्भ देते हुए, उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया, यद्यपि प्रतिवादी संख्या 2 को किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के मामले में कानूनी उपाय की स्वतंत्रता प्रदान की।

6. हलीबीडू पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर, जो जांच अधिकारी थे, ने दिनांक 20.03.2018 को अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेलुर के न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे आरोपपत्र संख्या 12/2018 के रूप में दर्ज किया गया। आरोपपत्र में निम्नलिखित व्यक्तियों को आरोपी नामित किया गया है:

i. आरोपी संख्या 1 - रमेगौड़ा

ii. आरोपी संख्या 2 - मल्लिकार्जुन (प्रतिवादी संख्या 2)

iii. आरोपी संख्या 3 - मंजुनाथ अरस

उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 471, 468, 467, 465, 420, 409, 466 एवं 423 के साथ-साथ धारा 34 के अंतर्गत आरोपित किया गया है। आरोपपत्र में इकसठ गवाहों के नाम भी उल्लिखित हैं।

7. आरोपपत्र के अनुसार, साक्षी संख्या 2 सोमशेखरप्पा के दिवंगत पति ने लगभग 40-50 वर्ष पूर्व अपने दिवंगत छोटे भाई थंबेगौड़ा को विषय भूमि का खेती के लिए उपयोग करने की अनुमति दी थी। थंबेगौड़ा की मृत्यु के बाद, उसके पुत्र अर्थात् आरोपी संख्या 1 विषय भूमि की खेती कर रहा था। वर्ष 1993 में सोमशेखरप्पा की मृत्यु हो गई, लेकिन आरोपी संख्या 1 ने आरोपी संख्या 2 (यहाँ प्रतिवादी संख्या 2) के साथ मिलीभगत करके एक जाली मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाया जिसमें यह दर्शाया गया कि सोमशेखरप्पा की मृत्यु वर्ष 2010 में हुई थी। इस जाली दस्तावेज़ में दिवंगत थंबेगौड़ा के पिता का नाम सन्नासिद्धेगौड़ा के बजाय सोमशेखरप्पा उल्लिखित किया गया था। ऐसे जाली दस्तावेज़ बनाकर आरोपी अवैध लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे।

8. प्रतिवादी संख्या 2 ने पुनः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें दिनांक 19.12.2016 की शिकायत, आरोपपत्र तथा दिनांक 28.03.2018 का आदेश (प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 28.03.2018 का आदेश क्या है, इसका उल्लेख नहीं किया गया) रद्द करने का अनुरोध किया गया। उल्लेख किया जा सकता है कि आरोपपत्र अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेलुर के न्यायालय में दाखिल होने पर सी.सी. संख्या 116/2018 के रूप में दर्ज किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की रद्द करने की याचिका को आपराधिक याचिका संख्या 4998/2020 के

रूप में दर्ज किया गया। उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 एक सार्वजनिक सेवक है। उसके विरुद्ध अभियोजन के अनुसार अपराध सार्वजनिक सेवक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया गया। जांच अधिकारी ने प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त करने का अनुरोध किया था, लेकिन स्वीकृति अस्वीकार कर दी गई। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि चूंकि स्वीकृति अस्वीकार कर दी गई है, इसलिए सार्वजनिक सेवक के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन जारी नहीं रखा जा सकता। फलस्वरूप, उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.11.2020 के आदेश द्वारा शिकायत, आरोपपत्र तथा दिनांक 28.03.2018 का आदेश रद्द कर दिया।

9. इससे असंतुष्ट होकर, शिकायतकर्ता ने अपीलीय पक्षकार के रूप में वर्तमान कार्यवाही आरंभ की है।

10. इस न्यायालय ने दिनांक 15.05.2023 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान की। विलंब को क्षम्य करने के पश्चात नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात, प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रत्युत्तर हलफ़नामा दाखिल किया। द्वितीय प्रतिवादी के प्रत्युत्तर हलफ़नामे का अवलोकन करने पर, इस न्यायालय ने दिनांक 21.11.2023 को हुई कार्यवाही में यह दर्ज किया कि उक्त हलफ़नामे के साथ संलग्न परिशिष्ट R-1 एक फाइल-नोटिंग थी, जिसमें कुछ अधिकारियों की यह राय दर्ज थी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करना उपयुक्त नहीं है। तथापि, इस न्यायालय ने यह पाया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करने संबंधी कोई निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि वह स्वीकृति के पहलू पर विचार करते हुए एक हलफ़नामा दाखिल करे तथा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करे।

11.इसके अनुपालन में, प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात कर्नाटक राज्य ने एक हलफ़नामा दाखिल किया। हलफ़नामे में कहा गया है कि अन्वेषण अधिकारी ने दिनांक 22.01.2018 को उपायुक्त, हासन को पत्र लिखकर ग्राम लेखाकार मल्लिकार्जुन (प्रतिवादी संख्या 2) के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी। आगे यह भी उल्लेखित है कि अतिरिक्त उपायुक्त, हासन ने दिनांक 17.03.2018 के पत्र द्वारा अन्वेषण अधिकारी को सूचित किया कि संबंधित फाइल के परीक्षण तथा विधि सलाहकार की राय पर विचार करने के उपरांत प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

12.अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा शिकायत, आरोप-पत्र तथा उससे संबंधित संज्ञान आदेश को निरस्त करना उचित नहीं था। उनका तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 2 के संबंध में अभियोजन हेतु किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जाली दस्तावेज़ तैयार करना प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया गया कार्य नहीं माना जा सकता। अपने इस तर्क के समर्थन में उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय *शंभूनाथ मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, (1997) 5 एससीसी 326 पर निर्भर किया है।

13 .राज्य के विद्वान अधिवक्ता अपीलीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन करते हैं।

14. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हैं तथा प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने शिकायत एवं आरोपपत्र को ठीक ही रद्द किया था। सार्वजनिक सेवक के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति के बिना उसे अभियोजित नहीं किया जा सकता। यह एक सुस्पष्ट प्रस्ताव है तथा इस संबंध में इस न्यायालय *के डी. देवराजा बनाम ओबैस सैंडर्स हुसैन*, (2020) 7 एससीसी 695 के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

15 .पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को इस न्यायालय ने उचित विचार किया है।

16. इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध अभियोजन हेतु अनुमति की आवश्यकता है, जिन पर अन्य बातों के अतिरिक्त गाँव के लेखाकार के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करके जाली दस्तावेज़ तैयार करने का आरोप है, जो एक लोक सेवक हैं? सक्षम प्राधिकारी ने अभियोजन हेतु अनुमति प्रदान करने से इंकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अभयुक्ति ऐसी अनुमति के अभाव में प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध अभियोजन को असंभव ठहराते हुए शिकायत तथा आरोप-पत्र को रद्द कर दिया है, तथा अपीलकर्ता को, यदि उचित समझे, तो प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध अनुमति अस्वीकृति को उपयुक्त कार्यवाही में चुनौती देने की स्वतंत्रता प्रदान की है।

17. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 न्यायाधीशों एवं लोक सेवकों के अभियोजन से संबंधित है। धारा 197 इस प्रकार है:-

> "197. न्यायाधीशों एवं लोक सेवकों का अभियोजन:-

(1) जब कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट है या ऐसा लोक सेवक है जिसे सरकार की अनुमति के बिना या सरकार द्वारा उसके पद से हटाया न जा सके, किसी अपराध का आरोपी बनाया जाता है जो कथित रूप से उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान या उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन का दावा करते हुए किया गया हो, तो कोई न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान तभी लेगा जब पूर्व अनुमति प्राप्त हो (लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्यथा प्रावधान के सिवाय)-

(क) उस व्यक्ति के मामले में जो संघ के कार्यों से संबंधित है या कथित अपराध के समय संघ के कार्यों से संबंधित था, तो केन्द्रीय सरकार की;

(ख) उस व्यक्ति के मामले में जो राज्य के कार्यों से संबंधित है या कथित अपराध के समय राज्य के कार्यों से संबंधित था, तो राज्य सरकार की:

[उपबंध= यह उपबंध किया जाता है कि जब धारा (ख) में वर्णित व्यक्ति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 की उपधारा (1) के अधीन जारी उद्घोषणा किसी राज्य में लागू होने की अवधि के दौरान कथित अपराध किया गया हो, तो धारा (ख) में "राज्य सरकार" पद के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" पद का प्रयोग मानो किया गया हो ऐसा लागू होगी।]

[व्याख्या–संदेह के निवारण हेतु यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 166ए, धारा 166बी, धारा 354, धारा 354ए, धारा 354बी, धारा 354सी, धारा 354डी, धारा 370, धारा 375, धारा 376, धारा 376ए, धारा 376एबी, धारा 376सी, धारा 376 डी, धारा 376डीए, धारा 376डीबी या धारा 509 के अधीन कथित रूप से किये गये किसी अपराध का आरोपी बनाया गया किसी लोक सेवक के मामले में कोई अनुमति आवश्यक न होगी।]

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|